भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **†2769**

दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

डीएमएफ और पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी

†2769.श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री विजय बघेलः
श्री अनन्त नायकः
श्री जुगल किशोरः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विशेषकर जम्मू में जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का पर्यवेक्षण करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो पीएमकेकेकेवाई के संशोधित 2024 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीएमयू द्वारा अनुपालन की जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) डीएमएफ निधि का कितना प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले कल्याण क्षेत्रों के लिए उपयोग किए जाने हेतु अधिदेशित है;
(घ) पीएमयू विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में इन आवंटनों का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित करेगा; और
(ङ) क्या पीएमयू अप्रयुक्त निधि और गलत आवंटन को कम करने के लिए वार्षिक कार्य-योजनाओं, तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा, सामाजिक संपरीक्षा और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी (जैसे ग्राम सभा निरीक्षण) को संस्थागत रूप देगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की है, जिसमें जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक भी शामिल हैं। पीएमयू, डीएमएफ निधि संग्रहण, स्वीकृत की गई राशि, व्यय की गई राशि, स्वीकृत परियोजना से संबंधित डेटा भी संकलित करता है और यह सुनिश्चित

करता है कि इसे जिला अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पीएमयू, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 के अनिवार्य अनुपालन की निगरानी भी करता है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 में यह निर्धारित किया गया है कि डीएमएफ की क्षमता बढ़ाने और डीएमएफ निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए, 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रहण वाले डीएमएफ को तकनीकी, लेखा और निगरानी सहायता की योजना बनाने के लिए पीएमयू की स्थापना करनी होगी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उपरोक्त मापदंडों के अनुसार, कोई भी डीएमएफ पीएमयू स्थापित करने के लिए पात्र नहीं है।

(ग) और (घ) पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 में यह अधिदेशित किया गया है कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत उपयोग किया जाए। पीएमयू क्षेत्रीय समन्वयकों (आरसी) के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सहित राज्यों और डीएमएफ के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 की धारा 6 में यह निर्धारित किया गया है कि डीएमएफ से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूर्ण रूप से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है।

(ङ) पीएमयू, डीएमएफ के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि प्रत्येक वर्ष, वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख से, तीन माह के भीतर, डीएमएफ, पीएमकेकेकेवाई 2024 दिशानिर्देशों की धारा 10 के तहत यथा उल्लिखित संबंधित वित्त वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों की धारा 7 में यह उल्लिखित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन से प्रभावित गांवों के संबंध में, सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा।

पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 में यह भी अधिदेशित किया गया है कि डीएमएफ एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण या आकलन के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों और चिह्नित कमियों के आधार पर, डीएमएफ एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना रणनीति तैयार करेंगे।

*****